बनाम

नम्बर व ता
अहकाम जो
हुक्म की ता
में जारी हु

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 52 सन 2017

अनवान :–

1. गिना पुत्री रावताराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।

बनाम

1. दलवीर 2 मोहनलाल पि0 मनफुल जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
3. सन्तलाल 4 बलराम पि0 भीखाराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर
5 विधादेवी पत्नी भीखाराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर
6. रोशनी 7. सरोज 8. राजबाला पुत्रीयान भीखाराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर
9. सुगना 10 चुन्नी 11 सन्तोष 12 धापी पुत्रीयान रावताराम जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।
13 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 17.1.19

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 18 जेएसएन के खाता संख्या 26/59 की कुल 10.8030हैक तथा रोही मौजा चक 16 जेएसएन के प0न0 334/400(21) किला न0 20/2 की ,21 ,22 की कुल 0.6330हैक प0न0 334/401(22) के किला न0 1 ,2 ,9 ,10 की 1.0120हैक कुल 1.6450हैक भूमि वादीया के पिता रावताराम के नाम से दर्ज थी जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान मनफुल, भीखाराम, सुगनाराम, धापी , चुन्नी, घीना, सनतोष है जो प्रत्येक 1/7 हिस्सा बहिब का हक हिस्सा है किन्तु रावताराम के फोत हो जाने के बाद विधि विरुद्ध तथ्यों को छुपाकर रावताराम के पुत्रों मनफुल , भीखाराम , व पत्नि लिछमा तीनों ने अपने नाम से दर्ज करवा ली वादीया अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है पुनश्चय प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी का पेश किया जाकर निवेदन किया की मनफुल व भीखाराम फोत हो चुके है फोत होने के बाद उनके उतराधिकारी के नाम भूमि दर्ज हो चुकी है एवं वारिसान एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 9 ,10 को हक हिस्सा से महरूम रख दिया है पूर्व में वाद में हिस्सा कस्सी गलत अंकित है अतः वाद वादी निम्नप्रकार से डिक्री फरमाया जावे।

रोही मौजा चक 18 जेएसएन के खाता संख्या 26/59 की कुल 10.8030हैक भूमि एवं रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या 68/24 की कुल 1.6450हैक भूमि में यानि दोनो खाता में वादिया अकेली 1/7, हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 9 अकेली 1/7 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 10 अकेली 1/7 हिस्सा , व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब 1/7 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 बहिब 1/7 हिस्सा के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते
Copy - Not Official

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व मे वादीया के पिता रावताराम के नाम से दर्ज थी वादीया के पिता एवं उसकी माता लिछमा का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीया एवं मनफुल , भीखाराम, सुगना , धापी, चुन्नी, सन्तोष , है जिसमें से मनफुल व भीखाराम का देहान्त हो चुका है किन्तु भूमि मनफुल एवं भीखाराम के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर प्रतिवादी संख्या 9 ता 10 का उनके हकों से महरूम कर दिया गया है जिसे उनके हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादीया के दादा रावतामरा के नाम से दर्ज थी रावताराम एवं उसकी पत्नि लिछमा के देहान्त होने के बाद रावतासम के जायज वारिसान वादीया एवं मनफुल , भीखाराम, सुगना , धापी, चुन्नी, सन्तोष जो रावताराम की भूमि के हकदार हुए किन्तु वाद भूमि मनफुल एवं भीखाराम के नाम से दर्ज की गई है जो गलत है विरास्तन से वाद भूमि रावताराम के सभी वारिसान के नाम से दर्ज की जानी चाहिये थी मनफुल एवं भीखाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 है ने वादीया के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है। इसप्रकार वादीया के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 18 जेएसएन के खाता संख्या 26/59 की कुल 10.8030हैक भूमि एवं रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या 68/24 की कुल 1.6450हैक भूमि में यानि दोनो खाता में वादिया अकेली 1/7 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 9 अकेली 1/7 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 10 अकेली 1/7 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 11 अकेली 1/7 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 12 अकेली 1/7 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब 1/7 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 बहिब 1/7 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय बाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

Saini

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official